Case

आंध्र प्रदेश शिक्षा संस्थान (छात्रों के प्रवेश और शुल्क का विनयिमन) आदेश, 1974 और उसके तहत बनाई गई योजनाएं।

Summary

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश में निजी गैर-सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज योग्यता की परवाह किए बिना अपने विवेक से 50 प्रतिशत सीटों पर छात्रों को प्रवेश देने के हकदार नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि शिक्षा एक पेशा या व्यापार या व्यवसाय के बजाय एक मिशन और व्यवसाय होना चाहिए। निर्णय में व्यावसायीकरण को रोकने के लिए शिक्षा क्षेत्र में विनियमन के महत्व पर जोर दिया गया।

Main Arguments

मामले में मुख्य दलीलें आंध्र प्रदेश में निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और शुल्क के विनियमन के इर्द-गिर्द केंद्रित थी। याचिकाकर्ताओं, निजी गैर-सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों ने तर्क दिया कि उन्हें योग्यता की परवाह किए बिना अपने विवेक से 50 प्रतिशत सीटों पर छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है। उत्तरदाताओं, आंध्र प्रदेश सरकार ने तर्क दिया कि यह जनहित के खिलाफ था और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए प्रवेश और शुल्क का विनियमन आवश्यक था।

Court Decisions

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश में निजी गैर-सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज योग्यता की परवाह किए बिना अपने विवेक से 50 प्रतिशत सीटों पर छात्रों को प्रवेश देने के हकदार नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि निजी शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में विवेक के कारण शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि छात्रों के प्रवेश के विनियमन और निजी शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क लेने के लिए विकसित की गई योजना दिशानिर्देशों की प्रकृति में है, जिसे उपयुक्त सरकारें और मान्यता देने वाले और संबद्ध अधिकारी लागू करेंगे।

Legal Precedents or Statutes Cited

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान, विभिन्न राज्य शिक्षा कानूनों और आंध्र प्रदेश शिक्षा संस्थानों (छात्रों के प्रवेश और शुल्क का विनयिमन) आदेश, 1974 सहित विभिन्न कानूनी उदाहरणों और कानूनों पर भरोसा किया।

Quotations from the court

"शिक्षा अपनी वास्तविक भावना में एक पेशे या व्यापार या व्यवसाय के बजाय एक मिशन और एक व्यवसाय है, चाहे दो बाद के शब्दों का अर्थ कितना भी व्यापक क्यों न हो।" "यह प्रबंधन में विवेक है जो मुख्य रूप से शिक्षा के व्यावसायीकरण का कारण बना है। यह विवेकाधिकार है जो शिकायत की गई कई बुराइयों की जड़ है।

Conclusion

उच्चतम न्यायालय का निर्णय भारत में शिक्षा क्षेत्र को विनयिमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विनयिमन के महत्व और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने की आवश्यकता पर न्यायालय का जोर एक स्वागत योग्य विकास है। यह निर्णय एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो छात्रों और जनता के हितों की रक्षा करते हुए निजी शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।